पूर्व मध्य रेल
East Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
सोनपुर मंडल

सं०–ECR-SEEOPERS(ESTT)/354/2022

दिनांक 19.01.2023

अधिसूचना

विषय : सोनपुर मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत कर्मचारियों का गतिशक्ति (जीएसयूएस) इकाई में अस्थायी रूप से पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/W-1/जनरल/गतिशक्ति दिनांक 27.07.2022

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/W-1/जनरल/गतिशक्ति दिनांक 27.07.2022 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटो से सेवानिवृत कर्मचारियों से सोनपुर मंडल के विषयांकित गतिशक्ति ईकाई के निम्नलिखित पदों के विरुद्व मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है:–

(A) नया अधिसूचना हेतु पद :–

क्रम सं०	विभाग	पद	पदों की संख्या
1	इंजीनियरिंग	एसएसई /वर्क्स	02
		एसएसई /ड्राईग	01
2	विद्युत (टी.आर.डी)	एसएसई /विधुत (टी.आर.डी)	01
3	सिग्नल एंव दूरसंचार	मुख्य कार्यालय अधीक्षक/S&T	01

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटो से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हों, से **अनुलग्नक–'ए'** के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडलों/यूनिट से सेवानिवृत कर्मचारी जिस विभाग/पद से सेवानिवृत हुए हैं, वे उसी विभाग के पद के लिए वे आवेदन कर सकते है।

2. रेलवे बोर्ड के परिपत्र 193/2017 दिनांक 12.12.2017 के तहत पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। कोई भी पुनर्नियोजित कर्मचारी 65 वर्ष की आयु से अधिक सेवा नही कर सकेगें। केवल वही सेवानिवृत कर्मचारी आवेदन कर सकते है, जिनकी उम्र अधिसूचना जारी होने की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नही हो।

3. यदि उनका कार्य आचरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो उनका पुनर्नियोजन 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी समाप्त करने हेतु प्रशासन स्वतंत्र होगा। (प्राधिकार – महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं० – ई/205(A)/0/ईसीआर/एचजेपी दिनांक 03.04.2018)

4. रेलवे बोर्ड के परिपत्र 150/2017 दिनांक 16.10.2017 के तहत इस योजना में वैसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत/पदच्युत या सेवा से बरखास्त किये गये हों और संरक्षा संबंधित सेवानिवृति योजना (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृति योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत हुए हों, वैसे कर्मचारी अवेदन करने के पात्र नही होगें।

Scanned with CamScanner

5. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1दिनांक 16.10.2017 (RBE No. 150/2017) के अंतर्गत पुनर्नियोजन किए गए कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात् Basic Pay+DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी तथा अन्य कोई भत्ता/पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

6. पुनर्नियोजित कर्मचारी निर्धारित पारिश्रमिक को छोड़कर किसी अन्य लाभ या सुविधाओं के हकदार नही होगें। (प्राधिकार – महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं0 – ई/205(A)/0/ईसीआर/एचजेपी दिनांक 03.04.2018)

7. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के परिपत्र 118/2019 दिनांक 24.07.2019 में वर्णित निर्देशानुसार एक कैलेण्डर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टी (यथानुपात आधार पर) अनुमेय होगा।

8. सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियोजन के सभी नियमों एवं शर्तो को पालन करने के लिए बाध्य होगें। (प्राधिकार – महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं0 – ई/205(A)/0/ईसीआर/एचजेपी दिनांक 03.04.2018)

9. रेलवे बोर्ड के परिपत्र 150/2017 दिनांक 16.10.2017 के तहत आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाये जाने पर हीं अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।

10. सेवानिवृत कर्मचारी का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजन से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। (प्राधिकार – महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्र सं0 – ई/205(A)/0/ईसीआर/एचजेपी दिनांक 03.04.2018)

11. पुनर्नियोजित कर्मचारियों की पदस्थापना सोनपुर मंडल के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। पुर्ननियोजित कर्मचारियों को परिणाम प्रकाशित होने के 10 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा। इसमें असफल होने पर उनका पुर्ननियोजन निरस्त माना जाएगा।

12. पुनर्नियोजित कर्मचारियों का समान्य कार्य के घंण्टे वही होंगें, जो समान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू है। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय देकर भी कार्यो का निष्पादन करना होगा। प्रशासन द्वारा कार्यो के आवश्यकता के अनुसार साप्ताहिक विश्राम के बाद समय में परिर्वतन किया जा सकता है।

13. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलिफ से समायोजित कर लिया जाएगा।

14. रेलवे बोर्ड के परिपत्र 150/2017 दिनांक 16.10.2017 के तहत सीधी भर्ती कोटे अर्थात रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ या अन्य श्रोत से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के साथ ही पुनर्नियोजित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

15. पुनर्नियोजित कर्मचारियों से Cash Handling का कोई भी कार्य नही कराया जाएगा।

16. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

17. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेगें की आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है।

18. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विर्निदिष्ट नियम आप पर लागू होगें तथा भविष्य में भी समय–समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों–उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगें।

Scanned with CamScanner

19. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

20. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वःअभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिए :–

(i) सेवा प्रमाण पत्र

(ii) पेंशन पहचान पत्र

(iii) पेंशन भुगतान आदेश

(iv) अंतिम वेतन पर्ची

(v) बैंक पासबुक की छायाप्रति

(vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो

(vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति

(vii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा **अनुलग्नक–'ए'** के माध्यम से सभी सबंधित प्रपत्रों के साथ सलग्न कर **दिनांक 20.02.2023** तक मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय/सोनपुर के **सिंगल विंडो सिस्टम (SWS)** के माध्यम से जमा करेगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में **''गतिशक्ति ईकाई में पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद''** का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते है। **दिनांक 20.02.2023 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।**

आवेदन भेजने का पता :–

मंडल कार्मिक अधिकारी (प्रभारी)
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय
सिंगल विंडो सिस्टम (SWS)
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर
बिहार – 841101

19.1.23
(बिजय इंजीनियर)
सहायक कार्मिक अधिकारी–।।।
कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर
2. म.रे.प्र./सोनपुर के निजी सचिव – म.रे.प्र. महोदय के सादर सूचनार्थ
3. सीपीएम गतिशक्ति सह अमरेप्र–।।/सोनपुर
4. अमरेप्र–।/सोनपुर
5. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर
6. मरेप्र (कार्मिक)/समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद एवं दिनदयाल उपाध्याय मंडल/पूर्व मध्य रेल।
7. सभी शाखाधिकारी/पूमरे/सोनपुर
8. सूचना पट्ट सोनपुर
9. भर्ती अनुभाग, समापक, बिल अनुभाग एवं सभी कर्मचारी कल्याण निरीक्षक
10. मंडल मत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा–अजजा एसो0/सोनपुर मंडल।

19.1.23
कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक – 'ए'

पूर्व मध्य रेल

पूमरे से सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के गतिशक्ति इकाई में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

(अधिसूचना सं0 : ECR-SEEOPERS(ESTT)/354/2022 दिनांक 19.01.2023)

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल सोनपुर
पिन न0 841101

मैं पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर गतिशक्ति इकाई में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:–

Self - attested Photograph of retd. Railway Employee

(Sign across the photo)

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवा निवृति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत हुए :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृति तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैण्ड + ग्रेड पे/पे लेवल (सेवानिवृति के समय) :
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवा निवृति के अलावे सेवानिवृत हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें :

Voluntary Retirement	Compulsory retirement/Dismissal Removal	LARSGESS/SRSS	Other

12. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित) :
13. मोबाइल नम्बर : 1. .... 2. ....
14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवा निवृति के समय मेडिकल कोटि :
17. पी.पी.ओ नम्बर :
18. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :
    - (i) सेवा प्रमाण पत्र
    - (ii) पेंशन पहचान पत्र
    - (iii) पेंशन भुगतान आदेश
    - (iv) अंतिम वेतन पर्ची
    - (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
    - (vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
    - (vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति

मै एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मै दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिये गये निर्धारित नियमों एवं शर्तो को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगीं। मै SRSS/LARSGESS एवं Medical Unfit for all categories से सेवा निवृत नहीं हुआ/हुई हूँ। 15 दिनों की पूर्व सूचना पर, बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक :
स्थान :

....
सेवानिवृत कर्मचारी का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner